न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 34/2018

जहरूद्दीन मंसूरी पुत्र रहमान खां निवासी वार्ड नम्बर 20 मान दरवाजा देशवाली मोहल्ला टोडारायसिंह जिला टोक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा जिला टोंक

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 23.07.2018

अपील का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को आवेदन पत्र दिनांक 07.05..2018 को प्रेषित कर अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1–ग्राम पंचायत तिलांजू तहसील मालपुरा मे खसरा संख्या 4/12 खाता संख्या 198 एंव पुराना खाता संख्या 192 का अलाटमेंट सुपुर्दगीनामा की प्रति दिनांक 24.01.1983 की सूचना की प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करे।

2–इस नम्बर की आवंटन लिस्ट अनाटमेंट नम्बर 146 (24.01.1983) मुताबिक इसकी सूचना प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा को पत्र कमांक 1051 दिनांक 05.07.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी मालपुरा ने पत्र कमांक 23071 दिनांक 17.07.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि पत्र कमांक 22724 दिनांक 18.05.2018 से अपीलार्थी को सूचना भिजवा दी गई है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

जिला कलेक्टर टोंक